न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर–खीरी।

मु०नं०–108/2019

कम्प्यूटर पंजीकरण सं०–901/2019

सुरेन्द्र कुमार बनाम अजय कुमार वर्मा आदि।

मु०अ०सं०–152/18

अं०धारा–302, 328 भा०दं०सं०

थाना–फरधान,

जिला–लखीमपुर खीरी।

11.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी।

वादी मुकदमा सुरेन्द्र कुमार पुत्र छेद्दू लाल मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। वादी मुकदमा सुरेन्द्र कुमार पुत्र छेद्दू लाल द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते स्वीकार किये जाने अन्तिम रिपोर्ट इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त वर्णित मुकदमे का वादी है। उपरोक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो प्रार्थी को स्वीकार है तथा जिसके आधार पर प्रार्थी मुकदमा समाप्त करना चाहता है। अंततः पुलिस द्वारा प्रेषित उक्त अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गई है।

मुकदमे में थाना हाजा की पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसके निस्तारण में वादी मुकदमा सुरेन्द्र कुमार पुत्र छेद्दू लाल को कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र छेद्दू लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अंतिम रिपोर्ट/एफ०आर०–53/19 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद सिंह यादव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

लखीमपुर खीरी।

JO CODE–UP 1977

11.05.2026